न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 290/2018

GCMS No. : 2018/00432

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
दिलीप सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. नीरज गटाणी पुत्र सोहनलाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स माहेश्वरी सेल्स पुलिस चौकी के पास सोमेसर जिला पाली 2. वृन्दावन ट्रेडर्स मैन मार्केट आईसीआईसीआई बैंक के पास सुमेरपुर जिला पाली 3. वीएमजी फुड प्राईवेट लिमिटेड 172 फेज 2 HSIIDC kundali Dist Sonpat (Haryana)

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51 व 52"

उपस्थिति –

1. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा।
2. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता भुवनेश काबरा, नवरतन अग्रवाल।
3. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत तिवारी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/12/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक संस्था/चि.अ./एटी/प.2/2015/एसपी–1 दिनांक 30.06.2015 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिलें में आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र प्रार्थी के कार्यक्षैत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 11.10.2017 दौराने गश्त अप्रार्थी के मैसर्स माहेश्वरी सेल्स पुलिस चौकी के पास सोमेसर जिला

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली

पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम नीरज गटाणी पुत्र सोहनलाल बताया एवं स्वंय फर्म का मालिक होना बताया। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की दुकान में Almonds (Mamragiri Brand vinod) रखा हुआ था जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने आमजन को बेचने हेतु रखा गया था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने Almonds (Mamragiri Brand vinod) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी एवं गवाहान को यह बता दिया कि यह नमुना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान मनोहरसिंह पुत्र जोरसिंह एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 250 ग्राम Almonds (Mamragiri Brand vinod) के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 650/–रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा Almonds (Mamragiri Brand vinod) को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–704 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया Almonds (Mamragiri Brand vinod) का नमुना संख्या आर–704 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/986/एक्ट/2017/987 दिनांक 02.11.2017 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) एवं मिस ब्राण्ड पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जांच पुनः करवाना चाहते है या अपना कोई पक्ष रखना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। उक्त अवधि पूर्ण होने से प्रकरण श्रीमान के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) एंव मिथ्याछाप Almonds (Mamragiri Brand vinod) को आमजन को विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Almonds (Mamragiri Brand vinod) के पैकैट अप्रार्थी संख्या 01 कि फर्म में तैयार नहीं होते है ऐसे में नमुना खाद्य पदार्थ के स्टेण्डर्ड एवं उसकी क्वालिटी के संबंध में अप्रार्थी संख्या 01 की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। नमुना पैकेट की पैकेजिंग प्रक्रिया अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा की जाती है एवं जिस अवस्था में पैकेजिंग की जाती है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है। ऐसे में अगर पैकेजिंग खाद्य पदार्थ खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं है तो इसमें विक्रेता अप्रार्थी संख्या 01 का कोई दोष नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त नमुना Almonds (Mamragiri Brand vinod) अप्रार्थी संख्या 02 के यहा से खरीद किया जिसकी बिल की प्रति पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत है प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 02 को अनुचित लाभ पंहुचाने नियत से अप्रार्थी संख्या 02 को पक्षकार संयोजित नहीं किया। प्रार्थी ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर जैर प्रार्थना पत्र प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय में पेश किया है खारिज योग्य है। प्रार्थी दिनांक 11.10.2017 को अप्रार्थी फर्म पर आये और अपने को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताते हुए फर्म का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी से प्रार्थी को बता दिया कि फर्म में किसी प्रकार की खाद्य सामग्री का उत्पादन नहीं किया जाता जिस पैक्ड अवस्था में होलसेल विक्रेता से खरीदा जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है। जिसके संबंध में प्रार्थी को अवगत कराया दिया कि उक्त Almonds (Mamragiri Brand vinod) अप्रार्थी संख्या 02 से खरीद किया गया जिसका बिल प्रार्थी को पेश किया। प्रार्थी ने पैक्ड Almonds (Mamragiri Brand vinod) का सेम्पल लिया गया न की खुला Almonds (Mamragiri Brand vinod) का साथ ही प्रार्थी ने मनोहर सिंह पुत्र जोर सिंह गवाह बनाया जिसकी वल्दियत का में प्रपत्र में कही अंकन नहीं है एवं दो गवाह के स्थान पर एक गवाह को ही लिया गया जो कि कार्यवाही की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के संबंध में समस्त कार्यवाही मौके पर नहीं की गई खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं न ही अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिये गया एवं मौके पर थोक विक्रेता अप्रार्थी संख्या 02 के संबंध में पर्याप्त दस्तावेज पेश करने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 02 को अनुचित लाभ पहुंचाने के नियत से पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया गया प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध एंव स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया जाने से प्रकरण खारिज योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2018 (1) FAC 118 पेश कर हस्तगत प्रार्थना–पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को गलत रूप से पक्षकार संयोजित किया है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से जिस Almonds (Mamragiri Brand vinod) का नमुना सेम्पल लिया गया है उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को कभी किया ही नहीं गया है न उक्त ब्राण्ड का माल अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा खरीद किया है जिसके संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 की ने दिनांक 03.08.2018 को शपथ पत्र देकर स्पष्ट कर दिया था कि अप्रार्थी संख्या 01 ने जो बिल पेश किया उससे कहीं यह साबित नहीं होता कि उक्त Almonds (Mamragiri Brand vinod) मेरे द्वारा माहेश्वरी सेल्स को बेची गयी ऐसे में समस्त जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 01 की बनती है। ऐसे में यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया Almonds (Mamragiri Brand vinod) का सेम्पल अप्रार्थी संख्या 02 की फर्म से खरीद नहीं किया गया अतः अप्रार्थी संख्या 02 जिम्मेदार नहीं होने से प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावें।

अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब एव वक्त बहस कथन करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है प्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही अप्रार्थी की फर्म पर रात के 11.10 बजे की गयी जो प्राकृतिक एंव न्याय के सिद्वांत के विरूद्ध है एवं नमुना लेते समय अपनायी गयी कार्यवाही खाद्य सुरक्षा मानको के अनुरूप नहीं पायी गयी। मौके पर भरे गये फार्म वीए में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमुना सेम्पल के संबंध में किसी शिकायतकर्ता द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की गई हो उसकी उल्लेख नहीं होने से प्रकरण खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त नमुना Almonds (Mamragiri Brand vinod) विक्रय किया इस के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 03 को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी द्वारा उक्त नमुने को खाद्य सुरक्षा विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर को भेजा गया जहां पर नमुने को घटिया घोषित करने के लिए कोई निर्धारित परीक्षण विधि का उपयोग/अनुशरण नहीं किया जाता है साथ ही उक्त प्रयोगशाला खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 43 एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने से उक्त प्रयोगशाला द्वारा तैयार रिपोर्ट अवैध एवं गलत होने से साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है एवं नमुना लेने एवं नमुने को प्रयोगशाला भिजवाने के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने धारा 46(3) एवं नियम 2.4.2(5) का उल्लंघन किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण तथ्यहीन एवं विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता द्वारा अपने तथ्यों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त AIR 2016 (NOC) 225 (BOM.), 2015 (6) ABR 74 पेश कर हस्तगत प्रार्थना–पत्र को खारिज करने का निवदेन किया है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली पर उपलबध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.10.2017 को अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म मैसर्स माहेश्वरी सेल्स पुलिस चौकी के पास सोमेसर जिला पाली से Almonds (Mamragiri Brand vinod) का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–704 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर प्रार्थना पत्र का नमुना दिनांक 11.10.2014 को सुबह 11.00 बजे लिया गया था न रात 11.00 बजे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में लिपिकिय त्रुटी से 11.00 AM की जगह 11.00 PM हो गया था जिसे आधार मानकर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता अतः केवल इस तथ्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रकरण नियम विरूद्ध एवं खाद्व सुरक्षा मानकों के आधार पर पेश नहीं किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पाली जिले एंव उसके स्थानीय क्षैत्र में कार्य करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया जिसके संबंध में अधिनियम 37(1) का अवलोकन से स्पष्ट है कि "खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानीय क्षैत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में केन्द्रिय सकार द्वारा विहित अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जिन्हे वह ठीक समझे और विनियमों के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए उन्हे समनुदेशित करें।" 37(2) के अनुसार राज्य सरकार विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कृत्यों का पालना करने के लिए राज्य सरकार के ऐसे किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी जिसके पास धारा 37(1))के अधीन विहित अर्हताए हो।" प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 37 के अधीन रहते किया जो विधि अनुसार एवं न्यायोचित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 वक्त बहस उज्र किया कि मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वतंत्र दो गवाह नहीं बनाकर एक ही गवाह मनोहर सिंह पुत्र जोरसिंह निवासी गुडा जैतसिंह पोस्ट सोमेसर जिला पाली को ही गवाह बनाया है जो कि नमुना लेने में अपनायी गयी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। उक्त एजराज के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 41(7) के अनुसार खाद्य निरीक्षक के सहकर्मी की गवाही की वैधता" यदि उस स्थल पर पाये गये गवाह मदद करने से इंकार कर देते है तो खाद्य निरीक्षक अपन सहकर्मी का बुला सकता है और उसका

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

ऐसा कोई कदम ट्रायल को दुषित नही करेगा, जिसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त (सुशील कुमार बनाम स्टेट ऑफ यु.पी. 1998 क्रि. ला.ज. 2325 इला.) 41(6) स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य के अनुसार "खाद्य निरीक्षक का एकल साक्ष्य भी यदि वह किसी को समझाने में सक्षम हो और यदि वह किसी को मनवा सकता है तो दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकता है (स्टेट बनाम नारायणस्वामी 1997 क्रि.लॉज 4490(मद्रास)" उपरोक्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विधिनुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्रवाई की है।

हस्तगत प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये दिनांक 11.10.2017 को Almonds (Mamragiri Brand vinod) का नमुना कोड संख्या आर-704 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 11.10.2017 को पेश कर रसीद प्राप्त की जिसकी प्रति पत्रावली के सलंग्न है, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया Almonds (Mamragiri Brand vinod) का नमुना Sub-standard (अवमानक) एवं मिथ्याछाप पाया गया जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 11.12.2017 को अप्रार्थीगण को भिजवायी गयी जिसे एक माह से ज्यादा समय व्यतित हो जाने पर भी अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Almonds (Mamragiri Brand vinod) की पुनः जाचं करवाने हेतु कोई आवेदन/अपील पेश नहीं कि जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। पत्रावली के अवलोकन एवं आदेश दिनांक 29.04.2024 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 03 को पक्षकार संयोजित किया जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से दिनांक 11.10.2017 को Almonds (Mamragiri Brand vinod) का सेम्पल वास्ते एफएसएसआई जांच हेतु लिया गया था, जिसके संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 ने जरिये बिल संख्या 125 दिनांक 08.07.2014 को अप्रार्थी संख्या 01 को बेचा था जिसकी प्रति पत्रावली के सलंग्न है एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी 03 से खरीद किया था। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से Almonds (Mamragiri Brand vinod) का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के कानुन की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने मिथ्याछाप एवं अवमानक Almonds (Mamragiri Brand vinod) का विक्रय/वितरण/विनिमय के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 एव 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप Almonds (Mamragiri Brand vinod) का विक्रय/वितरण/विनिमय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 पर 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 03 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली राजस्थान

(डॉ. बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली